

1299
911189

कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
निधि भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर,
जयपुर-302005 राजस्थान

क्रमांक: आरजे/4820/आवृति/प्रब.तोन/ 9746

पंजीकृत.

दिनांक: 6/1/89

मै0 उरमूल ग्रामीण स्वास्थ्य शोध सर्वं विकास न्यास,
पो.बा.नं 55,
बोकानेर- 334001.

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि सर्वं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952
लागू होने के क्रम में. ---

महोदय,

प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रत्युत प्रतिवेदन सर्वं इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया है कि आपको संस्था उद्देश्य कार्यक्लाप्र नियन्त्रण सर्वं कार्मिक समानता/निर्भरता को दृष्टि से पूर्व में ही उक्त अधिनियम के तहत कूट संघया आरजे/2389 के गन्तव्यता आवृत्त संस्थान मै0 उत्तरो राजस्थान सहकारी द्वुगुण उत्पादक संघ लि0 उरमूल बोकानेर को ही इकाई है।

अतः आपको इकाई पर कार्य प्रारम्भ तिथि से ही उक्त अधिनियम लागू होता है, तदैव आपको प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रख पृथक से कूट संघया आरजे/4820 आवंटित की जाती है सर्वं आपको राय दी जाती है कि इस कूट संघया के तहत फरवरी, 86 से अनुपालना कर सूचित करें।

उचित निदेश इत्यादि संलग्न है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

रु. एन. सो. जैन
सहायक आयुक्त
कृते क्षेत्रीय आयुक्त।